प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 16.12.25

थाना रोजा मिशन शक्ति टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने से सम्बन्धित अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रोजा पुलिस को आज दिनांक 16.12.2025 को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.12.2025 को थाना रोजा पर नाबालिग बालिका द्वारा अपने पिता के साथ उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त मुकेश प्रजापति पुत्र बहादुर, निवासी ग्राम पिलखना, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर, (प्रबन्धक – जेडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, पिलखना) द्वारा नाबालिग बालिका का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 646/2025, धारा 74 बीएनएस 2023 बनाम मुकेश पुत्र बहादुर, निवासी ग्राम पिलखना, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मुकदमे में **धारा 7/8 पोक्सो एक्ट** की **वृद्धि की गई।** उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त मुकेश उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 16.12.2025 को समय 14:50 बजे, मुखबिर की सूचना पर थाना रोजा की मिशन शक्ति टीम द्वारा पिलखना गाँव के बाहर गहरा की ओर जाने वाले रास्ते से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना रोजा मिशन शक्ति टीम द्वारा किया गया एक सराहनीय एवं प्रभावी प्रयास है, जो जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण : -

मुकेश पुत्र बहादुर निवासी ग्राम पिलखना थाना रोजा शाहजहाँपुर उम्र करीब 52 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय : -

दिनांक 16.12.2025 समय 14.50 बजे,थाना रोजा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिलखना के बाहर ग्राम गहरा को जाने वाले रास्ते पर

पंजीकृत अभियोग का विवरण :-

मु0अ0सं0 646/2025 धारा 74 BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना रोजा शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार, थाना रोजा, शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र , थाना रोजा,शाहजहांपुर।
3. म0उ0नि0 सुश्री पूनम दहिया,थाना रोजा,शाहजहांपुर।
4. हे0का0 30 शिवपूजन, थाना रोजा, शाहजहाँपुर।